न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

मोहित कुमार बनाम हरिमोहन वगै

दावा इ.नं. 164/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
06.02.24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू.अ./24/254 दिनांक 02.02.2024 द्वारा प्राप्त हो चुका है। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट की तथा प्रकरण में बहस अंतिम हेतु निवेदन किया। जिस पर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। Sd/- 06/02/24 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना(राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह ;राठौड़

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री)
164 / 2023	2023 / 272	22.09.2023	06.02.2024

उनवान प्रकरण

1. मोहित कुमार पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)।

—— वादी——

बनाम

1. हरिमोहन लॉजिस्टिक जरिए प्रोपराईटर हरिप्रसाद बल्लीवाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0) एंव एनएच 8, खातोलाई तहसील विराटनगर जिला जयपुर (राज0)
2. अंकिता पुत्र महेन्द
3. अमित पुत्र महेन्द
4. आदित्य पुत्र महेन्द्र
5. कमली पुत्री छीतरमल
6. कैलाशचन्द पुत्र धन्नाराम
7. गुलाबी देवी पुत्री धन्नाराम
8. घोठी पुत्री मूलाराम
9. चन्दा पुत्री मूलाराम
10. तीजा देवी पुत्री धन्नाराम
11. पप्पू उर्फ रामचन्द्र पुत्र मूलाराम
12. प्रेम पुत्री छीतरमल
13. बिदामी पत्नी छीतर
14. भूरी देवी पत्नी मूलाराम
15. मक्खनलाल पुत्र धन्नाराम
16. मनभरी पुत्री मूलाराम
17. मिश्री देवी पुत्री धन्नाराम
18. मीरा पुत्री मूलाराम
19. योगेन्द्र पुत्र छीतरमल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
06/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

20. शिम्भू पुत्र मूलाराम
21. संतरा पुत्री छीतरमल
22. सरदाराराम पुत्र महादाराम
23. हजारी पुत्र मूलाराम
24. हरफूल पुत्र मुलाराम
25. हंसा पुत्री मूलाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी खोखरावाली तन् ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)

26. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना
27. शाखा प्रबधंक यूको बैंक शाखा अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना (राज0)
28. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर ।

——प्रतिवादीगण——

उपस्थितः—

श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 वादी अभिभाषक।

दावा बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.91 हैक्टर तन् ग्राम खिरोटी पटवार बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। उक्त भूमि में वादी का भूमि खसरा नम्बर 301 व 302 पर कब्जा [illegible] व प्रतिवादी नम्बर 1 का भूमि खसरा नम्बर 298 पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण [illegible] 2 ता 25 का अन्य खसरा नम्बरान पर कब्जा काश्त है तथा [illegible] नम्बर 1 ता 25 उक्त वर्णित भूमि पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित भूमियां वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलाती संयुक्त खातेदारी की भूमियां है तथा उक्त भूमियो का [illegible] तक कोई विधिक विभाजन नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

06/02/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हुआ हैं। बिना विधिक विभाजन सहखातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार होता हैं तथा बिना विधिक तकासमा कराये अन्तरित का हक अधिकार नही होता हैं। वादी सीधा सादा व्यक्ति है जो कि कमाने खाने के लिये बाहर रहता है जबकि सभी प्रतिवादीगण संख्या मे ज्यादा है जो कि वादी से रंजिश रखते है तथा येन केन प्रकारेण वादी को बरबाद करने पर तुले हुये है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी से वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग करने में अवरोध लगातार कारित किया जाता है। इसलिये उक्त भूमि का वादी का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादी अपनी आवश्यकतानुसार अपनी खातेदारी एवं हक अधिकार की भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहा है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित भूमियों को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवायें ही भूमियो को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर को अन्तरण करने एवं विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करने एवं करवाने की एहलानिया धमकीयॉं दे रहे हैं व वादी को उसके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकीयॉं दे रहे हैं व कुचेष्टा कर रहे है जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं हैं। वादी को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा हैं, कहने सुनने से प्रतिवादीगण मान नही रहे हैं। जिससे वादी के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। वादी अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा। अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। वादी व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बंटवारा नही कर रखा हैं इसलिए वादी ने उपरोक्त भूमियों का बटंवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कंहा तो वे आजकल–आजकल करते रहे व टालते रहे तथा दिनांक 20.09.2023 को मौजूद प्रतिवादीगण ने भूमियो कानूनी बंटवारा करवाने से वादी को स्पष्ट इन्कार दिया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एवं उपजाऊ भाग पर जोर जबरन से अतिक्रमण करने एवं कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त भूमियो में जबरन ताकत के बल पर निर्माण करने की एहलानिया दी है। इस कारण वादकारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं। अतः वादीगण ने अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 280 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.13 हैक्टर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नम्बर 298 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 300 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.31 हैक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 1.18 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.91 हैक्टर तन् ग्राम खिरोटी पटवार बुर्जा की ढ़ाणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से के अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में [illegible] व 302 पर कब्जा काश्त हैं व प्रतिवादी नम्बर 1 का भूमि खसरा नम्बर 29[illegible] काश्त है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 2 ता 25 का अन्य खसरा [illegible] इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 25 उक्त [illegible] काश्त है, के कब्जानुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर [illegible]कर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

06/02/24

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग–अलग सींव कायम कर नक्शें में तरमीम करवाया जावे तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 28 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 की रजिस्टर्ड डाक से तामील होने के बावजूद कोई हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 28 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्ति करते हुये वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 25 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 25 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में वकील वादी की प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 14.12.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51 /2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./24/254 दिनांक 02.02.2024 द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वकील वादी ने अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार होना दर्ज राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 [illegible] का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
06/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी व पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––::क्रियात्मक आदेश ::––

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 25 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 02.02.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

<u>जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति</u> :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (है0)	किस्म
1.	168	अंकिता पुत्री महेन्द्र हि0 1/180 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, अमित, आदित्य पुत्रगण महेन्द्र हिस्सा 1/90 हि0ब0हि0 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, बिदामी पत्नि छीतरमल हि0 1/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, कमली, प्रेम, संतरा पुत्रियां छीतरमल हि0 3/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, योगेन्द्र पुत्र छीतरमल हि0 1/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, सरदारा पुत्र महादाराम हि0 1/10 जाति [illegible] ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, कैलाशचन्द मक्खनलाल पुत्रगण धन्नाराम हि0 [illegible] जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन [illegible] खातेदार, गुलाबीदेवी तीजादेवी मिश्रीदेवी पुत्रियां धन्नाराम हि0	280, 281, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302	5.91	गै0मु0 बीड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:53:39 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
06/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

		1/20 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, भूरीदेवी पत्नि मूलाराम हि0 1/100 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, पप्पू उर्फ रामचन्द्र शिम्भू हजारी पुत्रगण मुलाराम हि0 3/100 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, घोठीदेवी चन्दा मनभरी मीरा हंसा पुत्रियां मुलाराम हि0 1/20 हि0ब0हि0 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, हरफूल पुत्र मुलाराम हि0 13/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार राहिन राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाडली, मोहितकुमार पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 23/120 जाति जाट नि0 तहसील शाहपुरा जयपुर खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा अजीतगढ़, हरिमोहन लॉजिजिस्टक हि0 19/120 सा0 एन.एच. 8 खातोलाई तहसील विराटनगर जिला जयपुर खातेदार			
		योग	किता–11	**5.91**	–

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा (है0)	किस्म
1.	अंकिता पुत्री महेन्द्र हि0 1/180 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, अमित, आदित्य पुत्रगण महेन्द्र हिस्सा 1/90 हि0ब0हि0 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, बिदामी पत्नि छीतरमल हि0 1/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, कमली, प्रेम, संतरा पुत्रियां छीतरमल हि0 3/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, योगेन्द्र पुत्र छीतरमल हि0 1/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, सरदारा पुत्र महादाराम हि0 1/10 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, कैलाशचन्द मक्खनलाल पुत्रगण धन्नाराम हि0 1/30 [illegible] जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन [illegible] खातेदार, गुलाबीदेवी तीजादेवी मिश्रीदेवी पुत्रियां धन्नाराम हि0 1/20 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, भूरीदेवी पत्नि मूलाराम हि0 1/100 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार,	280, 281, 293, 294, 295, 296, 298/1, [illegible] 30[illegible] [illegible]/2	0.26 0.35 0.62 0.13 0.30 0.85 0.14425 0.44 [illegible]9 0.35725	गै0मु0 बीड़ गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:52:39 IST
Reason: SelfAttested

06/02/24
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	पप्पू उर्फ रामचन्द्र शिम्भू हजारी पुत्रगण मुलाराम हि0 3/100 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार. छोटीदेवी चन्दा मनभरी मीरा हंसा पुत्रियां मुलाराम हि0 1/20 हि0ब0हि0 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार, हरफूल पुत्र मुलाराम हि0 13/50 जाति जाट सा0 ढाणी खोखरा वाली तन झाडली खातेदार राहिन राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा झाडली,			
	योग	किता–10	3.8415	–
2	मोहितकुमार पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 23/120 जाति जाट नि0 तहसील शाहपुरा जयपुर खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा अजीतगढ़,	301 302/1	0.31 .82275	गै0मु0 बीड गै0मु0 बीड
	योग	किता–2	1.13275	–
3	हरिमोहन लॉजिजिस्टक हि0 19/120 सा0 एन.एच. 8 खातोलाई तहसील विराटनगर जिला जयपुर खातेदार	298/2	0.93575	गै0मु0 बीड
	योग	किता–1	0.93575	–

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1303 दिनांक 02.02.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 06/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 09:32:39 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 06/02/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)